फाइल नं0-71-3002/2/2021-03-96/2022/ I/186671/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक 06 जुलाई, 2022**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में उपकरणों हेतु स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण लम्बित बिलों का भुगतान वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट से किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर के पत्र संख्या–हरोस/2022-23/789, दिनांक 07.05.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपलब्ध बजट से लम्बित बिलों का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हृदय रोग संस्थान, कानपुर में मरीजों के उपचार हेतु आवश्यक उपकरण की अपरिहार्यता एवं आवश्यकता के दृष्टिगत वर्ष 2021-22 में स्वीकृत धनराशि के लैप्स हो जाने के कारण वित्तीय वर्ष 2022-23 में 26-मशीने एवं साज-सज्जा मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार उपकरणों के क्रय के भुगतान हेतु धनराशि रू0 19096081.00 (रू0 एक करोड़ नब्बे लाख छियानवे हजार इक्यासी मात्र) अवमुक्त की जाती है:-

क्र0 सं0	**उपकरण का नाम**	**लागत**	**भुगतान हेतु अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (02 प्रतिशत इनकम टैक्स कटौती के पश्चात)**
1	2	3	4
1	एक्ट्रा कॉर्पोरियल मेमबरेन आक्सीजनेसन सिस्टम (एक्मो)	8510096.00	8339894.00
2	रोटेशनल आरथीटॉमी सिस्टम लाइक रोटाबेल्टर	3854980.00	3777880.00
3	माइक्रो सर्जिकल इन्सट्रूमेन्ट	718888.00	704508.00
4	माइक्रो निडल होल्डर, राउण्ड हेन्डल विदआउट रेटचेट, स्ट्रेन्थ डाइमन्ड डस्ट, स्ट्रीमलाइन बाक्स लॉक, माइक्रो फॉरसेफ, लाइटवेट राउन्ड होल्डर, 1 mm डाइमन्ड डस्ट प्लेटफार्म रिंग टीपस	3387732.00	3319972.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5	बाईपेप मास्क 4 नग	851804.00	840164.00
6	सिंग्ल एण्ड डुअल चेम्बर एक्सटर्नल पेसमेकर	1984500.00	1944810.00
7	अन्य आवश्यक सामग्री	26300.00	25825.00
8		147808.00	133028.00
9		10000.00	10000.00
	योग-	**19492108.00**	**19096081.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों-

1. शासनादेश संख्या-130/2021/ई-105973/71-3-2021, दिनांक 11.10.2021 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022,दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,90,96,081 (रुपये एक करोड़ नव्वे लाख छियानबे हजार इक्यासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर में स्थापित कार्डियोलाजी इन्स्टीटयूट **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तनुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in